

11. अण्डमान, निकोबार एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए:—

अंडमान, निकोबार एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि 06.02.2008, समय संध्या 18.00 बजे तक होगी। ऐसे उम्मीदवारों को उपयुक्त अधिकारी से जारी अण्डमान, निकोबार और लक्षद्वीप के अधिवास का प्रमाण-पत्र या अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में अंतिम स्कूल/कॉलेज से जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना चाहिए। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार ने अपनी परीक्षा अण्डमान, निकोबार एवं लक्षद्वीप में स्कूल/कॉलेज से उत्तीर्ण की है।

12. अमान्य आवेदन पत्र :-

निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की कमी या अनियमितता वाले आवेदन पत्र सरसरी तौर पर रद्द कर दिए जाएंगे। (i) इस रोजगार सूचना में दिये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत न किया जाना। (ii) अधूरे या अपठनीय आवेदन पत्र। (iii) बिना हस्ताक्षर/तिथि वाले, अंगूठे की छाप के बिना तथा बिना पहचान चिन्ह वाले आवेदन पत्र। (iv) बिना फोटो या फोटो की छाया प्रति चिपकाने या संलग्न किए जाने पर। (v) फोटो के नीचे बॉक्स में और आवेदन फार्म पर बिना हस्ताक्षर के/हस्ताक्षर में अन्तर पाये जाने पर। (vi) अपेक्षित मूल्य या वैद्यता के बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के बिना। (vii) आवेदन पत्र हिंदी या अंग्रेजी में भरा न होना या उम्मीदवार द्वारा स्वयं अपनी हस्तलिपि में भरा न जाना (viii) आवेदन प्रारूप में पैरा 6 अभ्यर्थी द्वारा अपनी हस्तलिपि में लिखा न होना। (ix) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग उम्मीदवारों और भूतपूर्व कर्मचारियों से संबंधित उचित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त किये बिना। (x) निर्धारित आयु से कम/अधिक आयु वाले उम्मीदवार। (xi) आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता न होना। (xii) अंतिम तिथि को 18.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पत्र। (xiii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सत्यापित न होना। (xiv) एक ही नाम से एक से अधिक या एक ही लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजना। (xv) कोई अन्य अनियमितता।

13. भर्ती की प्रक्रिया :-

13.1 सभी योग्य अभ्यर्थियों को सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी.ई.टी.) में शामिल होना होगा, इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। शारीरिक रूप से अशक्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने से छूट प्रदान की गई है। 13.2 लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मैरिट के अनुसार एक सीमित संख्या में मूल प्रमाण-पत्र (दस्तावेज) के सत्यापन, अभ्यर्थी की पहचान की जांच के लिए एवं संगत चिकित्सा जांच के लिए बुलाया जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं होगा। 13.3 सभी कोटि के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा में शामिल होना है। पुरुष अभ्यर्थी :- एक अवसर में 6 मिनट में 1500 मीटर की दूरी तय करने में सक्षम हों। महिला अभ्यर्थी :- एक अवसर में 3 मिनट में 400 मीटर की दूरी तय करने में सक्षम हों। टिप्पणी:- 1.शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के उपरोक्त मापदण्ड अनन्तिम हैं और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन की सूचना यदि कोई होगी तो समयानुसार दी जाएगी। 2.शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के समय या भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले नुकसान/ दुर्घटना/क्षति की भरपायी के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें ताकि होने वाली नुकसान/दुर्घटना/क्षति से बचा जा सके। 13.4 शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के लिए स्थान :- शारीरिक दक्षता परीक्षा इलाहाबाद अथवा किसी अन्य स्थान में आयोजित की जा सकती है। निर्दिष्ट स्थान एवं समय की सूचना बुलावा पत्र अथवा वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। नोट :- (i) अभ्यर्थी को यह नोट कर लेना चाहिए कि उनकी इच्छानुसार मांगे गये मंडल में ही शारीरिक दक्षता परीक्षा होना अनिवार्य नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा/लिखित परीक्षा के स्थान निर्धारण के मामले में रेलवे प्रशासन द्वारा लिए गये निर्णय ही अन्तिम होंगे। उक्त संबंध में परिवर्तन के लिए किसी भी कारणवश किये गये अनुरोध मान्य नहीं होंगे। (ii) अभ्यर्थी को यह नोट कर लेना चाहिए कि उनकी पदस्थापना उत्तर मध्य रेलवे में कहीं भी की जा सकती है न कि केवल वहाँ, जहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गयी है। (iii) पीईटी हेतु उम्मीदवारों को उनके स्वयं के खर्च पर एक या दो दिन से अधिक ठहरना पड़ सकता है। उन्हें ठहरने तथा खाने-पीने का प्रबंध स्वयं करना होगा। (iv) पीईटी स्थल पर उम्मीदवारों को अनुशासन अवश्य बनाए रखना होगा। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता से उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में पीईटी स्थान पर कमेटी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा। 13.5 उम्मीदवारों की नियुक्ति नियमानुसार उनके मेडिकल फिटनेस और पूर्ववृत्त सत्यापन में उपयुक्त पाए जाने पर निर्भर करेगी। 13.6 आरआरसी./उ.म.रे. द्वारा उम्मीदवार का चयन किए जाने से उन्हें नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। 13.7 आरआरसी./उ.म.रे. भूलवश किसी तरह की त्रुटि या गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

14. उम्मीदवारों हेतु अनुदेश:-

14.1 ऊपर दर्शायी गई रिक्तियों की संख्या अनन्तिम है तथा ये घटाई या बढ़ाई जा सकती है। 14.2 महिला उम्मीदवार भी पात्र हैं लेकिन वे नोट कर लें कि ड्यूटियों की प्रकृति कठिन है तथा उन्हें बाहरी क्षेत्रों में ड्यूटियाँ करनी पड़ सकती हैं। 14.3 चयनित उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण (जहाँ कहीं निर्धारित है) प्राप्त करने के उपरांत, उत्तर मध्य रेलवे में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है। 14.4 उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र अन्तिम तिथि से पर्याप्त समय पहले आरआरसी/उमरे को भेजने चाहिए। आरआरसी चयन के किसी भी चरण में किसी भी तरह की डाक में देरी/गलत डिलीवरी, जो भी हो के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 14.5 सभी उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी समुदाय के हो, अनारक्षित रिक्तियों हेतु विचार किया जाएगा। लेकिन समुदाय विशेष के कोटे के विरुद्ध रिक्तियों के लिए केवल उस समुदाय विशेष के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा तथा अभ्यर्थी के समुदाय में बाद में किसी भी तरह के परिवर्तन पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। 14.6 पद के लिए आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों। निर्धारित मानदंड पूरा न करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आरआरसी/उ.म.रे. आवेदन पत्रों को निरस्त कर सकती है एवं यदि गलती से नियुक्ति हो भी जाती है तो भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा से निष्काषित कर दिया जाएगा। 14.7 निशुल्क रेल यात्रा पास: शारीरिक दक्षता परीक्षा/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले केवल अजा/अजजा समुदायों के उम्मीदवारों को उनके नजदीकी रेलवे स्टेशन से परीक्षा के स्थान तक का और वापसी का नि:शुल्क द्वितीय श्रेणी रेलवे पास जारी किया जाएगा। अन्य सभी अभ्यर्थी यात्रा एवं अन्य खर्च स्वयं वहन करेंगे। 14.8 परीक्षा का पाठ्यक्रम: लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र आठवीं कक्षा के स्तर का होगा जो मुख्यतः बहुविकल्पीय (चार) होगा जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान एवं तर्कशक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की भाषा की दक्षता से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे। 14.8 (अ) गलत दिये गये उत्तर हेतु नकारात्मक अंक काटे जायेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 नम्बर काटे जायेंगे यानि 3 गलत उत्तर दिये जाने पर एक अंक काट लिया जायेगा। 14.8 (ब) लिखित परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। 14.9 शारीरिक दक्षता जांच, लिखित परीक्षा तथा दस्तावेज परीक्षण की तिथि और स्थान का निर्धारण आर.आर.सी./एनसीआर द्वारा किया जाएगा तथा योग्य अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित किया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम रेल भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे के वेबसाइट www.ncr.gov.in तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सकता है। (i) आरआरसी/एनसीआर अपने विवेक पर अतिरिक्त लिखित परीक्षा और/या पीईटी या पुनः परीक्षा का आयोजन कर सकता है या संपूर्ण लिखित परीक्षा/या पीईटी या उसका एक भाग रद्द कर सकता है। (ii) परीक्षा के स्थान और/या केन्द्र/स्थान के परिवर्तन के बारे में किसी तरह के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। नोट: आरआरसी/उमरे द्वारा पीईटी/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बुलावा-पत्र जारी करने मात्र से, भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों या पैनल में नाम शामिल करने के संबंध में उम्मीदवारों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा।

15. दुराचार का दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :-

15.1 उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे ऐसा कोई विवरण न दें जो झूठा हो। आवेदन-पत्र भरते समय कोई तथ्यात्मक जानकारी को न छिपाएं। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन या कौट-छोट का कोई प्रयास न करें। उनके द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज या इसकी सत्यापित/प्रमाणित प्रति में किसी तरह की छेड़छाड़ न करें, यदि कोई कमी या त्रुटि हो तो ऐसी त्रुटि से संबंधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 15.2 यदि कोई उम्मीदवार को रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया गया (या पूर्व में किसी रेलवे भर्ती द्वारा दोषी पाया गया हो):- (i) किसी भी